न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16/2020

प्रार्थी –

मांगीलाल पुत्र अखैराज जाति ओसवाल निवासी बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच ग्राम पंचायत बागावास पं. स. पाटोदी जिला बाड़मेर
2. सचिव ग्राम पंचायत बागावास पं. स. पाटोदी जिला बाड़मेर
3. विकास अधिकारी पं.स. पाटोदी जिला बाड़मेर
4. उप–पंजीयक पचपदरा जिला बाड़मेर
5. कंवरलाल पुत्र चम्पालाल जाति ओसवाल निवासी बागावास पं.स. पाटोदी जिला बाड़मेर
6. बगताराम पुत्र सांगाराम जाति देवासी निवासी बागावास जिला बाड़मेर
7. मांगाराम पुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी बागावास जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 5 दिनांक 24.04.2017 जो अप्रार्थी सं. 5 के नाम ग्राम पंचायत बागावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कुलदीप पुरोहित व श्री पवनगिरी अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 से 7 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 18.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बागावास द्वारा अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बागावास में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 5 दिनांक 24.04.2017 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 299.44 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बागावास द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बागावास का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बागावास द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी ग्राम बागावास का मूल निवासी है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के दादा स्वर्गीय छोगालाल के वंशज हैं। छोगालाल जी के रहवासीय भूखण्ड मौजा बागावास की आबादी में स्थित हैं। उक्त रहवासीय भूखण्डों का स्वर्गीय छोगालाल के वंशजों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। दिनांक 18.12.20[illegible] को उक्त रहवासीय भूखण्डों पर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा निर्माण कार्य की जानकारी होने पर प्रार्थी को उक्त पट्टा के अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा विक्रय की जानकारी हुई। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि उक्त पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की पालना नहीं की गई है और न ही ग्राम पंचायत बागावास द्वारा अपनी बैठकों में वांछित कार्यवाही की गई है, बल्कि महज खानापूर्ति करते हुए बिना कोई आपत्तियों की मांग किये उक्त पट्टा जारी करवा दिया है। पंजीयन मात्र एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण को पूर्णता प्राप्त होती है, उसके द्वारा किसी अवैध व अनुचित अन्तरण व कार्यवाही को अन्तिमता प्राप्त नहीं होती है, लिहाजा उक्त पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित एवं खारिज योग्य है।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि आलौच्य भूखण्ड निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 5 की पैतृक अविभाजित संपत्ति है जिसका सीमांकन भी नहीं हुआ है। इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने एवं हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं था। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने, अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा उक्त पट्टा प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करवाना विधिक नहीं होने से प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः ग्राम पंचायत बागावास द्वारा जारी आलौच्य पट्टा संख्या 5 दिनांक 24.04.2017 विधिविरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 5 से 7 के अधिवक्ता ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि निरीक्षण प्रार्थना–पत्र में तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। उक्त भूखण्ड में स्व0 छोगालाल के वारिसान का कोई लेना–देना नहीं है। विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 5 कंवरलाल के ही स्वामित्व, आधिपत्य एवं रहवास का है। अप्रार्थी संख्या 5 ने कानूनी रूप [illegible] के समक्ष पुराने पैतृक आवास के नियमीतिकरण [illegible] संख्या 5 दिनांक 24.04.2017 प्राप्त किया है [illegible] रने में ग्राम पंचायत बागावास द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए जांच उप[illegible] विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा जारी होने के बाद ग्राम पंचायत से अनापत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राप्त कर भूखण्ड का बेचान अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण को महज राजनैतिक द्वेष भावना से आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचाने के लिए प्रस्तुत किया है जो निराधार है। ग्राम पंचायत बागावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के प्रकरण में ग्राम पंचायत की भिन्न–भिन्न बैठकों में कानून माफिक कार्यवाही सम्पन्न की गई है तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में यथाविहित प्रावधानों की पालना करते हुए विवादित भूखण्ड का मौका निरीक्षण, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण एवं नियत शुल्क संदायगी के उपरान्त आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा उप–पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध किया जा चुका है तथा माननीय अदालत को पंजीबद्ध दस्तावेज निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बागावास की आबादी भूमि में से 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को भी हड़पना चाहता है। इसके लिए एक ही मकसद है कि वह भिन्न–भिन्न लोगों के विरूद्ध झूठे मुकदमे कर तंग व परेशान करता है जिससे उसके भय में रहे। प्रार्थी को आलौच्य पट्टा विलेख की आरम्भ से ही जानकारी थी किन्तु हस्तगत प्रार्थना–पत्र करीब 3 वर्ष 8 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 5 से 7 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 5 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा वि[illegible] के विरूद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्रा[illegible] पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई [illegible] 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने को जो नोटिस जारी किया गया [illegible] वह 30 दिन की समयावधि का होना चाहिए, जिसे अभियान होने के फलस्वरूप 7 दिवस किया गया। जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आपत्ति नोटिस दिनांक 05.04.2017 को जारी किया गया तो उसे बाद में काटकर 7 दिवस किया जाना नियमानुसार नहीं है। उक्त आपत्ति का नोटिस पत्रावली में फोटोकॉपी है जिस पर मोतबिरान के हस्ताक्षर अंकित हैं जो नोटिस की संदिग्धता को प्रकट करता है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा आवेदित विवादित भूखण्ड को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किराये पर दिया जाना अंकित किया है जबकि आलौच्य पट्टा आबादी भूमि में आवासीय कब्जे के नियमितीकरण का जारी किया गया हैं, इससे स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय कब्जे की विधिवत जांच नहीं की गई हैं। जहां मौके पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा था तो उसका विनियमितीकरण नियम 157(1) के तहत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 160 में विहित प्रावधानों की सम्पूर्ण पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करते समय मिसल संख्या 26 अंकित थी जिसे काटकर एक साल बाद दिनांक 20.05.2018 को करने का प्रमाण–पत्र जारी कर स्पष्टीकरण दिया है जबकि पट्टा विलेख एक विधिक दस्तावेज होने से उसमें एक साल बाद काट–छांट करना नियमानुसार उचित नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना उक्त आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों [illegible] विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह [illegible] जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बागावास द्वारा बैठक दिनांक 20.04.2017 के संकल्प सं. 01 के तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

मे अप्रार्थी सं. 5 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 5 दिनांक 24.04.2017 को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:39:37 IST
Reason: SelfAttested